भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3427

दिनांक 08 अगस्त, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

कटिहार में शिशु और मातृ मृत्यु दर

3427. श्री तारिक अनवरः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या बिहार के कटिहार जिले में एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए इस वर्ष रोग नियंत्रण के लिए विशेष व्यवस्था की गई है और यदि हाँ, तो अब तक आयोजित टीकाकरण शिविरों की संख्या के साथ तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) उक्त जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में मातृ-शिशु स्वास्थ्य सेवाओं (विशेषकर प्रसव पूर्व देखभाल और संस्थागत प्रसव) की वर्तमान स्थिति क्या है और शिशु एवं मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए कौन से लक्षित कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं;
(ग) क्या कटिहार जिले के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल चिकित्सा इकाइयों की उपलब्धता और प्रभावशीलता के संबंध में आंकड़े उपलब्ध हैं और उनकी संख्या बढ़ाने की योजना क्या है; और
(घ) उक्त जिले में कुपोषण दर को कम करने के लिए पोषण पुनर्वास केंद्रों (एनआरसी) के कार्यकरण और उपलब्धता के बारे में जानकारी का ब्यौरा है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) द्वारा एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आईडीएसपी) वर्ष 2004 में शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य देश में संक्रामक रोगों के प्रकोप की निगरानी और अनुक्रिया करना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्र स्तर पर एक केंद्रीय निगरानी इकाई (सीएसयू), राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर एक राज्य निगरानी इकाई (एसएसयू) और जिला स्तर पर एक जिला निगरानी इकाई (डीएसयू) है। यह कार्यक्रम एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम (एईएस) सहित 50 से अधिक महामारी-प्रवण रोगों की निगरानी के लिए ज़िम्मेदार है। निगरानी तंत्र में उप-केंद्र स्तर पर सहायक नर्स मिडवाइफ (एएनएम) द्वारा भरा गया एस (सिंड्रोमिक) फॉर्म, स्वास्थ्य सुविधा केंद्र स्तर पर चिकित्सा अधिकारियों द्वारा भरा गया पी (प्रकल्पित) फॉर्म और मानक केस परिभाषाओं के अनुसार प्रयोगशालाओं द्वारा भरा गया एल (प्रयोगशाला द्वारा पुष्टिकृत) फॉर्म

शामिल हैं।

एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम - एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच (आईडीएसपी-आईएचआईपी) की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 3.5 वर्षों (2022-2025) के दौरान कटिहार जिले में एईएस का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। कटिहार जिला नियमित टीकाकरण (आरआई) के अंतर्गत है।

(ख): कटिहार जिले में बीमार और गंभीर रूप से बीमार बच्चों को सुविधा केंद्र स्तर पर परिचर्या प्रदान करने के लिए एक विशेष नवजात शिशु परिचर्या इकाई (एसएनसीयू), एक नवजात शिशु स्थिरीकरण इकाई और एक बाल चिकित्सा परिचर्या इकाई है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफ़डबल्यू) संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (एपीआईपी) के आधार पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत प्रजनन, मातृ, नवजात, बाल, किशोर स्वास्थ्य और पोषण (आरएमएनसीएएच+ एन) कार्यनीति के कार्यान्वयन में सहायता करता है। बिहार राज्य सहित पूरे देश में बाल स्वास्थ्य परिणामों में सुधार हेतु किए गए उपायों का विवरण नीचे दिया गया है:

- **सुविधा केंद्र आधारित नवजात शिशु परिचर्या:** जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज स्तर पर विशेष नवजात शिशु देखभाल इकाइयां (एसएनसीयू) स्थापित की जाती हैं, बीमार और छोटे शिशुओं की देखभाल के लिए प्रथम रेफरल इकाइयों (एफआरयू)/सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) में नवजात शिशु स्थिरीकरण इकाइयां (एनबीएसयू) स्थापित की जाती हैं।
- **नवजात और छोटे बच्चों की समुदाय आधारित परिचर्या:** गृह आधारित नवजात परिचर्या(एचबीएनसी) और गृह आधारित छोटे बच्चों की परिचर्या (एचबीवाईसी) कार्यक्रम के अंतर्गत, आशा कार्यकर्ताओं द्वारा बच्चों के पालन-पोषण की प्रथाओं में सुधार लाने और समुदाय में बीमार नवजात और छोटे बच्चों की पहचान करने के लिए घर का दौरा किया जाता है।
- **जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके):** एक वर्ष तक की आयु के बीमार शिशु को जन स्वास्थ्य संस्थानों में मुफ्त उपचार के साथ-साथ मुफ्त परिवहन, निदान, दवाइयाँ, रक्त और उपभोग्य सामग्रियों का प्रावधान प्राप्त है।
- निमोनिया के कारण होने वाली बाल रुग्णता और मृत्यु दर में कमी लाने के लिए 2019 से सामाजिक जागरूकता और निमोनिया को सफलतापूर्वक निष्क्रिय करने के लिए कार्रवाई (एसएएएनएस) पहल लागू की गई है।
- ओआरएस और जिंक के उपयोग को बढ़ावा देने तथा बाल दस्त के कारण होने वाली रुग्णता और मृत्यु दर को कम करने के लिए **स्टॉप डायरिया** अभियान लागू किया गया है।
- **राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके):** बाल जीविता दर में सुधार हेतु राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) के अंतर्गत 0 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों की 32 स्वास्थ्य स्थितियों (अर्थात् रोग,

कमियाँ, दोष और विकासात्मक विलंब) के लिए जाँच की जाती है। आरबीएसके के अंतर्गत जाँचे गए बच्चों की पुष्टि और प्रबंधन के लिए जिला स्वास्थ्य सुविधा स्तर पर जिला शीघ्र अंतक्षेप केंद्र (डीईआईसी) स्थापित किए जाते हैं।

भारत सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत बिहार के कटिहार जिले सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए प्रसवपूर्व और संस्थागत प्रसव सहित मातृ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए निम्नलिखित योजनाओं/कार्यक्रमों को लागू करती है-

- **सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (सुमन)** सभी रोके जा सकने वाली मातृ एवं नवजात मृत्यु को रोकने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में आने वाली प्रत्येक महिला और नवजात शिशु को नि:शुल्क, सम्मानजनक, आदरपूर्ण एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करता है तथा सेवाओं से इनकार करने पर शून्य सहनशीलता बरतता है।

- **जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके)** प्रत्येक गर्भवती महिला को सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में सिजेरियन सहित नि:शुल्क प्रसव के साथ-साथ नि:शुल्क परिवहन, निदान, दवाइयां, रक्त, अन्य उपभोग्य वस्तुएं और आहार की सुविधा प्रदान करने का अधिकार देता है।

- **प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए)** गर्भवती महिलाओं को हर महीने की 9 तारीख को एक प्रसूति रोग विशेषज्ञ/विशेषज्ञ/चिकित्सा अधिकारी द्वारा एक निश्चित दिन, नि:शुल्क सुनिश्चित और गुणवत्तापूर्ण प्रसवपूर्व जांच की जाती है।

विस्तारित पीएमएसएमए कार्यनीति गर्भवती महिलाओं, विशेष रूप से उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था (एचआरपी) महिलाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण एएनसी सुनिश्चित करती है और सुरक्षित प्रसव होने तक व्यक्तिगत एचआरपी ट्रैकिंग सुनिश्चित करती है। इसके लिए चिन्हित उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं को वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाता है और पीएमएसएमए दौरे के अलावा अतिरिक्त 3 दौरों के लिए आशा को उनके साथ भेजा जाता है।

- **प्रसवोत्तर परिचर्या** को इस्टतम करने का उद्देश्य माताओं में खतरे के लक्षणों का पता लगाने पर जोर देकर और ऐसी उच्च जोखिम वाली प्रसवोत्तर माताओं का शीघ्र पता लगाने, रेफरल और उपचार के लिए आशा कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करके प्रसवोत्तर परिचर्या की गुणवत्ता में सुधार करना है।
- **मासिक ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण दिवस (वीएचएसएनडी)** आंगनवाड़ी केंद्रों पर एक आउटरीच कार्यकलाप है जो एकीकृत बाल विकास सेवाओं (आईसीडीएस) के साथ मिलकर पोषण सहित मातृ और शिशु परिचर्या के प्रावधान को सुनिश्चित करती है।

- गर्भवती महिलाओं को आहार, आराम, गर्भावस्था के खतरे के संकेत, लाभप्रद योजनाओं और संस्थागत प्रसव के बारे में शिक्षित करने के लिए मातृ एवं शिशु सुरक्षा (एमसीपी) कार्ड और सुरक्षित मातृत्व पुस्तिका वितरित की जाती है।

- जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत एक सुरक्षित मातृत्व अंतक्षेप है, जिसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ एवं नवजात मृत्यु दर को कम करना है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जो प्रसव और प्रसवोत्तर परिचर्या के साथ नकद सहायता को एकीकृत करती है।

(ग): जन स्वास्थ्य और अस्पताल राज्य का विषय है और सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल मेडिकल यूनिट (एमएमयू) सहित स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को सुदृढ़ बनाने की ज़िम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। मोबाइल मेडिकल यूनिटों का मुख्य उद्देश्य सुदूर, दुर्गम, कम सुविधाओं वाले और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक निवारक, प्रोत्साहनकारी और उपचारात्मक सेवाएँ पहुँचाना है, जिनमें प्रजनन बाल स्वास्थ्य (आरसीएच) सेवाएँ भी शामिल हैं, लेकिन जो इन्हीं तक सीमित नहीं हैं। परिचर्या केंद्र पर मरीज़ों के लिए ये सेवाएँ निःशुल्क उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एमएमयू के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राज्यों द्वारा पीआईपी (कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना) में प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर, संबंधित राज्य की आवश्यकता के अनुसार, हर साल राज्यों को सहायता प्रदान करता है। एनएचएम एमआईएस दिसंबर, 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, एनएचएम के अंतर्गत बिहार में कोई मोबाइल मेडिकल यूनिट नहीं है।

(घ): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बिहार के कटिहार जिले सहित पूरे देश में, गंभीर तीव्र कुपोषण (एसएएम) और चिकित्सीय जटिलताओं से पीड़ित 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को भर्ती चिकित्सा और पोषण संबंधी परिचर्या प्रदान करने के लिए जन स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों पर पोषण पुनर्वास केंद्र (एनआरसी) स्थापित किए हैं। उपचारात्मक परिचर्या के अलावा, एनआरसी में भर्ती के दौरान समय पर, पर्याप्त और आयु-उपयुक्त आहार संबंधी परामर्श और सहायता के माध्यम से माताओं/परिचर्याकर्ताओं की क्षमता निर्माण के प्रयास किए जाते हैं। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बिहार राज्य से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, कटिहार जिले के जिला अस्पताल में एक एनआरसी कार्यरत है, जिसमें 5 वर्ष से कम आयु के 280 बच्चे भर्ती हैं, जो चिकित्सा संबंधी जटिलताओं के साथ गंभीर तीव्र कुपोषण (एसएएम) से पीड़ित हैं।

*****